संख्या - 49/2024/1650/477/18-2-2024

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2024

विषयः- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षो की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महात्वाकांक्षी नई योजना "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA)" प्रारम्भ किया जाना है, जिसकी रूपरेखा / क्रियान्वयन निम्नानुसार होगाः-

2- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) में निम्नवत प्राविधान होंगे-

(1) योजना का उद्देश्य-

उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।

(2) योजना का लक्ष्य-

प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर इस स्वरोजगार मिशन द्वारा आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना करना है।

(3) योजना हेतु पात्रता/शर्तें-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।

(ख) आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।

(घ) आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ावर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त हो।

(ड.) पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।

(4) योजना के अंतर्गत वित्त पोषण -

(क) उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। रू0 5.00 लाख से अधिक रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण / वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नहीं होगा। 'उद्योग' एवं सेवा क्षेत्र की परिभाषा भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 में यथा परिभाषित से है। 'उद्योग' का स्पष्ट आशय विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) से है। विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न होने वाली सभी इकाइयां उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत की जायेगी। 'सेवा क्षेत्र' का आशय ऐसी इकाइयों से है, जो ट्रेडिंग (किसी सामान को क्रय कर उसको उसी रूप में विक्रय करना) तथा विनिर्माण क्षेत्र से भिन्न हो तथा किसी तरह की सेवा से संबंधित हो।

(ख) ऋण कम्पोजिट लोन प्रकृति का होगा।

(ग) कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

(घ) परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा।

(ड.) सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। साथ ही प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों (बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र) तथा भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों (Aspirational Districts) जैसे चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों/आवेदकों को भी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। यह अंशदान अग्रान्त (फ्रंट इण्डेड) होगा।

(च) लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैक इण्डेड होगा।

(छ) परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक / वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के लिये दिया जायेगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। यदि लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्रोतों से किसी ऋण पर वित्तीय संस्था/बैंक से सीजीटीएमएसई कवरेज की सुविधा ली गयी हो, तो भी प्रस्तावित योजना में उसे ऋण एवं सीजीटीएमएसई कवरेज दिये जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

(ज) ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर दिया जायेगा।

(झ) लोन की तिथि से 6 माह की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) दी जायेगी।

(ञ) लोन डिफाल्ट होने की स्थिति में अथवा किस्तों की अदायगी में लाभार्थी द्वारा देरी किये जाने पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा लगाये जाने वाले पेनल इन्ट्रेस्ट को उपादान में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ट) परियोजना स्थापित न करने अथवा 4 वर्षों की समयावधि में परियोजना बन्द होने की स्थिति में मार्जिन मनी सब्सिडी की धनराशि वापस ले ली जायेगी। यह सब्सिडी इकाई के 4 वर्षों तक कार्यरत होने के उपरान्त उसके खाते में समायोजित की जायेगी।

(ठ) 4 वर्षो की अवधि में मूलधन की पेनल इन्ट्रेस्ट सहित वापसी करने वाला लाभार्थी योजनान्तर्गत द्वितीय चरण वित्त पोषण का पात्र होगा।

(ड) द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) की परियोजना लागत अधिकतम रू0 10.00 लाख हो सकेगी तथा प्रथम स्टेज में लिए गये ऋण का अधिकतम दोगुना अथवा रू0 7.50 लाख, जो भी कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नहीं होगी।

(ढ) कम्पोजिट द्वितीय चरण लोन में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशाप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी ।

(ण) प्रथम स्टेज के वित्त पोषण के लाभार्थी जिनके द्वारा लोन अदायगी में डिफाल्ट की गयी हो, द्वितीय चरण वित्त पोषण के लिये अपात्र माने जायेंगे।

(त) द्वितीय चरण के अंतर्गत रू0 10.00 लाख से अधिक किन्तु अधिकतम रू0 20.00 लाख की परियोजना लागत की इकाइयां विस्तारित की जा सकेंगी, किन्तु इनमें अधिकतम रू0 7.50 लाख तक की धनराशि पर ही देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत अनुदान वित्त पोषण की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए दिया जायेगा। शेष ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी।

(थ) द्वितीय चरण में भी सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 3 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(द) योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत / शेड्यूल्ड / ग्रामीण बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण हो सकेगा।

(ध) योजना के संचालन के लिए आवश्यक बजट धनराशि हेतु राज्य स्तर पर मिशन कार्यालय द्वारा एक डेडीकेटेड खाता बैंक में खोला जायेगा, जहां से लाभार्थियों हेतु मार्जिन मनी, सब्सिडी तथा ब्याज उपादान की धनराशि बैंकों को निर्गत की जायेगी।

(न) डिजिटल ट्रान्जैक्शन के सापेक्ष रू0 1 प्रति ट्रान्जैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति इकाई/लाभार्थी देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(प) मिशन के अंतर्गत कुल वास्तविक व्यय अथवा देय अनुदान की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत (जो भी कम हो) प्रशासनिक व्यय के रूप में शामिल किया जायेगा।

(फ) मिशन के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण / अनुदान हेतु अनुमन्य नहीं होगी जो Negative list के अंतर्गत होंगी। योजनान्तर्गत Negative list इस प्रकार होगी:-

(i) तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, इत्यादि।

(ii) अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेट उत्पाद आदि।

(iii) पटाखों का विनिर्माण।

(iv) प्लास्टिक कैरीबैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग ।

(v) समय - समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

(5) योजनान्तर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया-

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवेदन आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डी0पी0एम0यू0) आवेदनों के चयन, बैंकों में प्रेषण, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिए अधिकृत होगी। योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र जिला स्तर पर केन्द्रीय एजेन्सी होगा। योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग व व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग को भी लक्ष्य आवंटित किये जायेंगे, ताकि इस योजना का लाभ सभी वर्गों एवं श्रेणियों के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को मिल सके। किसी अन्य विभाग के संबंध में राज्य स्तरीय शासकीय समिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(6) योजना का क्रियान्वयन-

मिशन मोड में योजना के क्रियान्वयन में संगठनात्मक ढॉचा एवं कार्य विभाजन निम्नवत होंगे:-

जनपद स्तर-	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई,
राज्य स्तर-	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
उच्च स्तर-	राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं
	राज्य स्तरीय शासकीय समिति (गवर्निंग कमेटी)

(क) जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-DPMU)-

जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुश्रवण के लिए डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट गठित की जायेगी। उपायुक्त उद्योग, डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के पदेन सदस्य सचिव होंगे। डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का संगठन/स्वरूप निम्नवत होगाः-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
प्रधानाचार्य, पॉलीटेक्निक (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0 (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
जिला समन्वयक, कौशल विकास मिशन	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित लघु उद्योग भारती / इंडियन इण्ड ज एसोसिएशन के 02 प्रतिनिधि	सदस्य
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य सचिव

- **डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे:-**

1. ऑनलाईन प्राप्त आवेदन-पत्रों का चयन एवं स्क्रूटनी उपरान्त बैंकों को प्रेषण।
2. माह में कम से कम एक बार जनपद स्तरीय राज्यकोर्स की बैठक आहूत कर अभियान की समीक्षा कराना।
3. विकास खण्डों पर आयोजित होने वाली ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति(बीएलवीसी) की बैठकों मे अनिवार्य रूप से अभियान के अन्तर्गत प्रेषित आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं अनुश्रवण कराना।
4. प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सभी विभागों व संस्थानों से समन्वय स्थापित कर उन्हें विशेष आमंत्री के रूप में बैठक में आमंत्रित करना।
5. प्रशिक्षित ऐसे सभी युवाओं का डाटा बेस तैयार कराना जो योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हों।
6. प्रशिक्षित सभी युवाओं को योजनान्तर्गत विकास खण्डवार आवेदन करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना का प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
7. बैंकों के जिला समन्वयकों के साथ पाक्षिक बैठकें आयोजित करना, जिसमें लक्ष्यों की पूर्ति का अनुश्रवण किया जाये।
8. अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य एवं केन्द्र स्तर पर बैंकों के शीर्ष अधिकारियों से समन्वय करना।
9. जनपद एवं मण्डल स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना।
10. मिशन के सफल संचालन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रदान करना।
11. विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा करना।
12. योजना के लाभार्थियों को सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना में जनपद स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अन्त:विभागीय समन्वय करना।

(ख) राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट - SPMU) -

SPMU का नेतृत्व मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान द्वारा किया जायेगा। मिशन निदेशक, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के नियन्त्रण, निर्देश व मार्गदर्शन में मिशन के मामलों व निधियों के उचित प्रशासन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के मिशन मोड में संचालन और इसकी विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रायोजना मिशन मोड में संचालित की जानी है। अतः मिशन का पृथक कार्यालय स्थापित किया जायेगा। मिशन के सफल संचालन हेतु मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालयों में अस्थायी पद सृजित किये जायेंगे, ये पद योजना के चालू रहने तक ही बने रहेंगे। इस संबंध में पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नवत है:-

क्र. स.	**पदनाम**	**पदो की सं. / प्रकृति**	**अर्हता**	**वेतन प्रतिमाह**	**भर्ती का स्रोत**
1	मिशन डायरेक्टर	1 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	आईएएस संवर्ग में न्यूनतम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी	पैतृक विभाग के वेतनमान के अनुसार	प्रतिनियुक्ति
2	एडिशनल मिशन डायरेक्टर	1 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	आईएएस अथवा पीसीएस संवर्ग के अधिकारी जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी अथवा समकक्ष ऐसे पदों पर जिनमें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति
3	ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर	4 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	एमएसएमई विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 7600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12 के अनुवर्ती स्तर में रू. 88700/- पर कार्यरत एवं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति
4	महाप्रबंधक वित्त	1 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 7600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12 के अनुवर्ती स्तर में रू. 88700/- पर कार्यरत एवं कम से कम 100 करोड़ के वार्षिक बजट वाले संस्थान/विभाग में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	तदैव	प्रतिनियुक्ति
5	वित्त एवं लेखाधिका	1 अस्थायी	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 5400/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स	तदैव	प्रतिनियुक्ति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	री	(योजना के चालू रहने तक)	लेवल-10 के अनुवर्ती स्तर में रू. 63100/- पर कार्यरत एवं कम से कम 50 करोड़ के वार्षिक बजट वाले संस्थान / विभाग में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव		
6	सहायक लेखाधिकारी	4 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 4800/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-8 के अनुवर्ती स्तर में रू0 53600/- पर कार्यरत	तदैव	प्रतिनियुक्ति
7	डिप्टी मिशन डायरेक्टर	4 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	एमएसएमई विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 6600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवेल-11 के अनुवर्ती स्तर में रू. 76200/- पर कार्यरत एवं बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन / कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति
8	मुख्यमंत्री युवा फेलो	160 (150+10) सेवा आउटसोर्स	स्नातक	रू0 30000.00 रू0 10000.00 (भ्रमण भत्ता)	आउटसोर्सिंग
9	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	85 (75+10) सेवा आउटसोर्स	कम्प्यूटर का न्यूनतम सीसीसी प्रमाण-पत्र एवं टायपिंग एवं ऑनलाईन पोर्टल संचालित करने का 02 वर्ष का अनुभव	रू0 15000.00	आउटसोर्सिंग

- **मिशन निदेशक के कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे:-**

1. मिशन टास्क फोर्स का गठन जिसमें मिशन के अधिकारियों कर्मचारी शामिल हों, जो अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करेंगे।

2. जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर मिशन के कर्मचारियों / अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।

4. मिशन के सभी स्तरों पर कर्मचारियों / अधिकारियों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।

5. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति व उच्च स्तरीय शासकीय समिति की बैठकों का आयोजन कराना।

6. प्राप्त सभी वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करना।

7. ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करना जो अभियान के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।

8. इस मिशन से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में 01 लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना तथा आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 21 से 40 वर्ष आयु के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को बैंको व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अधिक से अधिक युवा विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों द्वारा चलायी जा रही प्रशिक्षण योजनाओं के प्रति आकर्षित हों तथा स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो सकें।

9. मिशन के दिन प्रतिदिन के कार्यों की योजना बनाना तथा उनका निर्देशन, समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना।

10. लक्ष्य की पूर्ति हेतु योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा/अनुश्रवण करना।

(ग) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति -

योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति होगी, जिसका संगठन / स्वरूप निम्नवत होगा :-

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0	अध्यक्ष
सचिव, वित्त	सदस्य
आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य
राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
निदेशक, नगर विकास	सदस्य
निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा	सदस्य
निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	सदस्य
मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन	सदस्य
मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान	सदस्य सचिव

- **उक्त राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के कार्य निम्नवत होंगेः-**

मिशन के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के उपरान्त योजना की प्रभाविता की समीक्षा करना।

मिशन के संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-DPMU) तथा राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) कार्यरत होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) राज्य स्तरीय शासकीय समिति-

मिशन के अन्तर्गत शीर्ष स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शासकीय समिति(गवर्निंग कमेटी) होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगाः-

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0	सदस्य सचिव

- **राज्य स्तरीय शासकीय समिति के कार्य एवं अधिकार निम्नवत होंगे:-**

1. योजना के लिए नीतियॉ, दिशा-निर्देश, विनियम व नियम तैयार करना।
2. मिशन के कामकाज के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
3. विभिन्न स्तरों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों, प्रत्यावेदनों को स्वीकृति प्रदान करना।
4. विशेष प्रकरणों का समाधान करना।
5. अभियान की समीक्षा करना।
6. राज्य कार्यकारी समिति द्वारा संदर्भित किसी अन्य प्रकरण पर विचार करना।

3 - इस योजना के किसी भी बिंदु पर आवश्यक्तानुसार संशोधन / परिवर्द्धन मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

4 - इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त योजना का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय तथा (आडिट - प्रथम / द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रांजल यादव
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।